

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थी/वादी

रणवीरसिंह


किस्म प्रकरण : राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र

यनाम

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

अन्तरकवंबर वगैरह

मुकदमा नं. 278 / 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
26.05.2026	<p>पत्रावली आज पेशी हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में पक्षकार की ओर से पैरवी नहीं किया जाना जाहिर किया। प्रकरण में पक्षकारान को आवाजे लगवाई गई। परन्तु प्रार्थी/अप्रार्थीगण की ओर से कोई पक्षकार/प्लीडर हाजिर नहीं आया।</p> <p>अतः प्रकरण में वकील प्रार्थी द्वारा पैरवी नहीं किये जाने तथा प्रकरण में बावजूद तारीख पेशी सूचना व आवाजे लगाने पर भी पक्षकारान के गैर हाजिर रहने पर प्रकरण अधीन धारा 212 आरटीएक्ट 1955 अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन) </p>	